



प्रेषक,

सचिव
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी।

प्रेषित,

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
प्रदेश के सभी राजकीय व गैर-राजकीय विद्यालय।

क्रमांक:— 843/शैक्षिक/A-7

दिनांक:—18.09.2026

विषय:—भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित PM-Vidyalaxmi Scheme के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत करवाया जाता है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा **PM-Vidyalaxmi Scheme** प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (Quality Higher Education Institutions) में प्रवेश हेतु **Collateral-free** एवं बिना गारंटर (**Guarantor-free**) ऋण उपलब्ध करवाना है। जिन पात्र विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान (**Interest Subvention**) प्रदान किया जाता है, वहीं जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये तक है, उन्हें **PM-USP Central Sector Interest Subvention Scheme** के अंतर्गत 10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान (**Full Interest Subvention**) का लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे आर्थिक कारणों से किसी भी पात्र विद्यार्थी की उच्च शिक्षा बाधित न हो।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विद्यालय के वर्ष-2026 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके सभी विद्यार्थियों तक निम्न संदेश पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि पात्र विद्यार्थी उक्त योजना से लाभान्वित हो सकें—

“Students securing merit based admission in Quality Higher Educational Institutions in India can avail collateral-free and guarantor free education loans under PM-Vidyalaxmi Scheme. Details are available at <https://pmvidyalaxmi.co.in>. The Scheme also provides interest subvention benefits to eligible meritorious students, as per scheme guidelines. Students can also avail education loans for higher education at other recognised HEIs for which Government of India provides credit guarantee and interest subvention.”

हस्ता—
सहायक सचिव (शैक्षिक)
कृते: सचिव